राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,बिहार
सरकार
प्रपत्र-XIV ख
(देखें नियम-10)
लगान रसीद

बिहार भूमि

ऑनलाइन
Running Unique No.: **28042504422747221586**
(Receipt No.)

जिला :- **Patna**	अंचल :- **Patliputra**
हल्का :- **चितकोहरा**	मौजा :- **ढ़कनपुरा**
जमाबन्दी संख्या :- भाग वर्तमान :- **39** पृष्ठ संख्या :- **82** कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या :- **212140000297018**	मौजा/थाना संख्या :- **8/7**
जमाबंदी रेयत का नाम :- **Sunrise Homes (Through Partner Dharmesh Kumar),Sunrise Homes (Through Partner Raghuendra Narayan ,Sunrise Homes (Through Partner Manish Chandra),Sunrise Homes (Through Partner Ravi Shankar kumar),Sunrise Homes (Through Partner Abhijeet Kumar)** अभिभावक का नाम :- **Surendra Prasad Singh, Bharat Sharma,Ashok Chandra, Late Vishnu Deo Prasad, Late Harishchandra Kumar**	पता :- **Road No 6 Near Lal Babu Market West Patel Nagar Patna,Super Market Patna B Block Flat No 203 Frazer Road Patna,Manju Niwash Janak Kishore Road Opp Devendra Kutil Kadamkuan Patna,1/19 Lig Flat Hanuman Nagar Kankarbagh Patna,1/19 Lig Flat Hanuman Nagar Kankarbagh Patna**

खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा/डिसमिल
409	132	0 एकड़ 21.5 डिसमील 0 हेक्टर

Without Prejudice

सालाना मांग(बकाया और वर्तमान) चालू वित्तीय वर्ष का

वित्तीय वर्ष	सालाना दर	बकाया	वर्तमान	सूद	कुल	अभियुक्ति(बकाया का वर्ष कब से कब तक)
जमाबंदी लगान	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	2025-2026 से 2025-2026
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	29.00	0.00	29.00	0.00	30.00	2025-2026 से 2025-2026
कुल	49.00	0.00	49.00	0.00	50.00	2025-2026 से 2025-2026

वसूली

वित्तीय वर्ष	बकाया के विरुद्ध वसूली	वर्तमान मांग के विरुद्ध कुल वसूली	कुल वसूली	अवशेष राशि(बकाया का वर्ष कब से कब तक)	अभियुक्ति
लगान	0.00	20.00	20.00	2025-2026 से 2025-2026	
सेस(लगान का 50 प्रतिशत स्वास्थ्य सेस, 50 प्रतिशत शिक्षा सेस, 25 प्रतिशत रोड सेस एवं 20 प्रतिशत कृषि सेस)	0.00	29.00	30.00	2025-2026 से 2025-2026	
कुल	0.00	49.00	50.00	2025-2026 से 2025-2026	

कुल बकाया-50.00
वसूल की गयी राशि शब्दों में- Fifty Rupees

तिथि- **28-04-2025**

यह एक कम्पयुटर जनित प्रति है।
किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।